न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :— 51/2012 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भौंरा पुत्र बुद्धा जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज़0)

.... अपीलाण्ट

बनाम

1. विजय पुत्र मूला जाति धीवर,
2. लक्ष्मण पुत्र मूला जाति धीवर,
3. रतन पुत्र मूला जाति धीवर,
4. कौशल्या स्त्री मूला जाति धीवर निवासीयान ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)
5. बिमला पुत्री मूला जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)
6. प्रेम पुत्री मूला जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)
7. गुड्डी पुत्री मूला स्त्री अमरसिंह जाति धीवर निवासी ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर (राज0)

..................रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :—

1. श्री गोविन्द राम यादव, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री सचिन खत्री, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय ::: दिनांक :— **25.08.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के प्रार्थना पत्र 2/129 उनवान भौंरा बनाम विजय के निर्णय दिनांक 27.03.12 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. इस आशय का पेश किया कि आराजी ख़सरा

62

नम्बर 1547 रकबा 83 ऐयर जिसका साबिक नं. 806 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम जातपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को बहिस्से बराबर पट्टे पर कस्टोडियन विभाग से मिली और ताल्लुकात अच्छे रहने के कारण अप्रार्थीगण के ही नाम पट्टा जारी करा दिया व कागजात माल में इन्द्राज होता रहा वैसे इस आराजी में बहिस्से बराबर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अरसे दराज से बहैसियत काबिज काश्तकार के काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है, और लगान अदा करते चले आ रहे हैं। इस आराजी में मिन प्रार्थी ने बोरिंग भी अपने खर्चे से लगाया हुआ है और आठ होर्स पॉवर का इंजन भी लगाया हुआ हैं इस आराजी में मिन प्रार्थी ने जो फसल बोई थी वो काट ली और अब आगामी फसल को बोने की तैयारी चल रही है। इस प्रकार इस आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुश्तर्का में बहिस्से बराबर बहैसियत काबिज काश्तकार के काबिज है और प्रार्थी का 1/2 भाग है और अप्रार्थीगण का 1/2 भाग है जो मुश्तर्का में है जो आराजी दावे व दरख्वास्त हाजा में विवादित भूमि है। बख्याल दूर अन्देशी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हक में प्रार्थी का 1/2 भाग आराजी विवादित में काबिज काश्तकार होने की बाबत एक प्रलेख पत्र भी दिनांक 31.07.86 को प्रार्थी के हक में मूला ने तहरीर व तकमील कराया हुआ है। अब कुछ दिनों से अप्रार्थीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और उन्होने दिनांक 25.06.11 को जब मिन प्रार्थी विवादित आराजी में अपने 1/2 हिस्से में आगामी फसल बो रहा था तो प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत की तथा सालिम आराजी पर जबरन कब्जा करने को उतारू हो गये और प्रार्थी का 1/2 भाग मानने से भी इन्कार हो गये। प्रार्थी द्वारा तहत अदालत से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त विवादित आराजी में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी के 1/2 हिस्से मुश्तर्का कब्जे काश्त में किसी किस्म की रूकावट व मजाहमत ने करे व प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर सालिम आराजी पर अपना जबरन कब्जा न करे।

मातहत अदालत में रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी मिन अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी मृतक मूला की आवंटितशुदा आराजी है जिसकी कर्जा कीमत अदा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है तथा मूला की मृत्यु की पश्चात विरासत इन्तकाल बाद जांच मिन अप्रार्थीगण के हक में दर्ज वो स्वीकृत किया गया है जिस पर मिन अप्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मातहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा दिनांक 27.03.12 को आदेश दिया गया कि ''अस्थाई निषेधाज्ञा की आवश्यक तीनों शर्तें प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने इकरारनामें के आधार पर सन् 1986 से कब्जा साबित होने के आधार पर एडवर्ड पजेशन के आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने बाबत टिप्पणी विधि विरूद्ध की है। अगर रेस्पोडेन्टान अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तथा विवादित आराजी का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया तो प्रार्थी अपीलाण्ट का दावा ही

बेसूद हो जायेगा और अपीलाण्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति भी होगी, जिस पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निर्णय दिनांक 27.03.12 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टान को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला पाबन्द फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र तथा अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि गलत निर्णय की आड में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की खुली अवहेलना हुई और अपीलाण्ट के साथ न्याय नहीं हुआ है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर मौके पर काबिज है। मातहत अदालत को प्रलेख पत्र दिनांक 31.07.86 को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए था ऐसा ना कर तहत अदालत ने कानूनी भूल की है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि साबिक बन्दोबस्त 2020 के खसरा नं. 400, 431, व 465 बहुत बडा रकबा था, जिसमें से 18 बीघा अपीलाण्ट के पिता तथा 6 बीघा रेस्पोडेण्टान सं0 1 ला0 7 के पिता वो पति मृतक मूला को आवंटित हुई, जिसके गत बन्दोबस्त नम्बर 798 व 806 कायम हुए है तथा जिनके हाल खसरा नम्बर 1547 व 1510 है जो मृतक मूला से सम्बन्धित है। आवंटन के समय हरसहाय व भौरा का जन्म नहीं हुआ था, ऐसी सूरत में अपीलाण्ट और मृतक मूला के सम्मिलित रूप से काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित आराजी रेस्पोडेण्अ की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो मृतक मूला को आवंटितशुदा है जिसकी कीमत अदा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किए है। मूला की मृत्यु के पश्चात विरासत इन्तकाल बाद जांच रेस्पोडेण्ट के हक में दर्ज तथा स्वीकृत है। अतः अपील अपीलाण्ट सव्यय खारिज की जावें।

अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 27.03.12 का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया।

अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाण्ट तथाकथित इकरारनामा दिनांक 31.07.86 को आधार बनाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है तथा रेस्पोडेण्ट को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहता है, जबकि जमाबन्दी ग्राम जातपुर सम्वत् 2065-68 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 7 खसरा नं. 1547 रकबा 0.83 के खातेदार दर्ज हैं।

माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर तथा उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि इकरारनामें को कभी भी राजस्व रिकॉर्ड पर वरियता प्रदान नहीं की जा सकती है। राजस्व रिकॉर्ड रेस्पोडेण्टगण के पक्ष में साबित हैं, अतः उनके विरूद्ध स्थगन के आदेश जारी नहीं किए जा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ का निर्णय दिनांक 27.03.12 यथावत रखा जाता है। खंर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर